

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20062020-220049
CG-DL-E-20062020-220049

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1761]
No.1761]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 19, 2020/ज्येष्ठ 29, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 19, 2020/JYAISTHA 29, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2020

का. आ. 1979(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में उक्त अधिनियम के अधीन बनासकांठा जिला, गुजरात राज्य के राज्यक्षेत्र के भीतर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बाड़मेर पालनपुर पाइपलाइन परियोजना के लिए सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्रांत ऑफिसर / असिस्टेंट कलेक्टर, पालनपुर प्रांत, बनासकांठा जिला, गुजरात सरकार को प्राधिकृत करती है।

[फा.सं. आर-11025(15)/3/2020ओ-आर-1/ई-33838]

पी सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th June, 2020

S. O. 1979(E).—In pursuance of clause (a) of section 2 of the Petroleum Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby authorizes Prant Officer / Assistant Collector, Palanpur Prant, District Banaskantha, Government of Gujarat to perform the functions of Competent Authority for Barmer Palanpur Pipeline Project of Hindustan Petroleum Corporation Limited, under the said Act, within the territory of Banaskantha District of Gujarat State.

[F. No.R-11025(15)/3/2020-OR-I/E-33838]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.